वादपत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है वादीगण की ओर से वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर मौजा सिलोरि के खसरा संख्या 321 में वर्णित आराजी नम्बर 288, 533, 542 किता 3 कुल रकबा 0.8200 है. भूमि स्थित हैं जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी स्वामित्व कब्जे काश्त की है। तथा वादीगण अपना हिस्सा की भूमि को विभाजन से अलग कर अलग खातेदारी में दर्ज कराना चाहते हैं इसलिए वादीगण का वादपत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश पारित किया गया। तथा पत्रावली को साक्ष्य एक पक्षीय में नियत की गई। साक्ष्य वादीगण में वादी हीरालाल एवं गवाह नक्षत्रमल के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जा. दी. का पेश हुआ जिस पर वादी का एवं गवाह के बयान कराये गये। पत्रावली में एक पक्षीय कार्यवाही होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। वादीगण का वादपत्र धारा 53 आर.टी.ए को स्वीकार किया जाता है तथा वादप्रकरण को प्राथमिक डिक्री किया जाता है डिक्री पर्चा मुर्तिब हो तदनुसार हुक्मनामा आदेश जारी हो। पत्रावली विभाजन प्रस्ताव के इंतजार में रहे।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

30/6/25 पत्रावली में तहसीलदार डूंगला से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से तहसीलदार डूंगला से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु पत्रावली को तहसीलदार डूंगला से विभाजन प्रस्ताव पण्डित दिन दयाल उपाध्याय पखवाड़ा के तहत आयोजित शिविर दिनांक 30/6/25 को ग्राम पंचायत [illegible] में पेश हुई। पत्रावली में वर्णित पक्षकारान को [illegible] बुलाया जाने पर पक्षकारान ने [illegible] होकर अवगत कराया कि वाद प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहते है तथा राजीनामा भी प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.07.11 16:56:33 IST
Reason: SelfAttested

→

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम ... हुक्म की तारीख जारी हुए
	वादपत्र में वर्णित आराजियात को वादीगण द्वारा मोहन लाल को विक्रय कर दी गई है। वादीगण का कोई हिस्सा नहीं होने से वादपत्र में वर्णित आराजीयात का विभाजन नहीं हो सकता है। प्रस्तुत हुए प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद जांच अवलोकन पश्चात वादीगण का वादपत्र धारा 53 आर.टी.ए. में कार्यवाही उसी स्तर पर ड्राप की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] /06/18 उपखण्ड अधिकारी डूंगला जिला-चित्तौड़गढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.07.11 16:56:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner